न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 57/2021

GCMS Case No. : 2021/176

अपीलाण्ट —	बनाम	रेस्पोडेण्ट —
1. पांचुसिंह पुत्र जगेसिंह उर्फ जगतसिंह जाति रावत निवासी गुडाधमावता तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान।		1. फतेहसिंह पुत्र नेनसिंह जाति रावत निवासी गुडाधमावता तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज.
2. मीरादेवी पत्नी हुकमसिंह जाति रावत निवासी गुडाधमावता तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज.।		2. तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970"

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 19/06/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति, शिविर सारण में दिनांक 26.11.1975 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम आवंटित ग्राम गुडाधमावता के खसरा संख्या 175 रकबा 16 बिस्वा (0.2023) भूमि आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडाधमावता तहसील मारावड़ जंक्शन में स्थित खसरा संख्या 178 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बंजड़, जिसके पुराना खसरा संख्या 119 मीन रकबा 16 बिस्वा गै.मु.जंगल की भूमि प्रार्थीगण पुश्तैनी कब्जा सुदा है, जिसे कृषि हेतु समतल भूमि बनाया तथा यह भूमि प्रार्थीगण के रहवासी मकान के चिपती हुई है। अप्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी के पिता के पास कृषि भूमि थी, इसलिये अप्रार्थी भूमिहीन नहीं था तथा आवंटि विवाहित होने के उपरान्त भी अकेले के नाम आवेदन पेश किया जबकि संयुक्त रूप से आवेदन पेश किया जाना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

चाहिये। जिस दिन आवेदन दिया गया, उसी दिन आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन अधिकारी ने बिना कोई जांच किये, बिना प्रक्रिया की पालना किये विधिविरूद्ध तरीके से जैर आवंटन आदेश पारित कर दिया। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा न तो भौतिक कब्जा किया गया, न ही कोई काश्त की गयी और न ही भूमि का उपयोग उपभोग किया। प्रार्थीगण द्वारा जैर आराजी पर टांके का निर्माण करवाने के दौरान, अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दिये जाने पर उक्त आवंटन आदेश की जानकारी हुई। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते जैर आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 26.11.1975 को अप्रार्थी के पक्ष में जैर आराजी का आवंटन हुआ तथा प्रार्थीगण लगभग 50 वर्ष पश्चात् उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने आए है तथा देरीना के भी उपुयक्त कारण नहीं बतांये है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है। अप्रार्थी के पिता को आवंटन होने के पश्चात् वे मौके पर काबिज थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार के काबिज काश्त है एवं उक्त आराजी में कृषि कार्य हेतु अप्रार्थी का रहवासीय मकान भी स्थित है। यदि वक्त आवंटन कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है, तो उसके इतने वर्षो के बाद, जब उस आराजी में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकरी उत्पन्न हो गये हो, हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये चुनौती नहीं दी सकती। जैर आराजी का आवंटन होने पश्चात् सर्वप्रथम अप्रार्थी को गैर खातेदार तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पालना किये जाने की स्थिति में अप्रार्थी को जैर आराजी का बतौर खातेदार दर्ज किया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी जैर आरजी में खातेदार दर्ज हैं एवं उक्त आराजी में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार लागु हो गये है इसलिये प्रार्थीगण को यदि कोई अनुतोष चाहिये था तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये था। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 1986 RRD 137, 1987 RRD 235, 2008(2) RRT 835, 2018(2) RRT 1007, 2007 (1) RRT 19, 2021 (1) RRT 1100, 2007(2) RRT 1194, 2006 RRD 9, 1999 RRD 128(B), 1997 RRD 195, 2007(2) RRT 1430, 2000 RRD 9 पेश किये। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने तथा म्याद बाहर होने से खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति, शिविर सारण में दिनांक 26.11.1975 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम आवंटित ग्राम गुडाधमावता के खसरा संख्या 175 रकबा 16 बिस्वा (0.2023) भूमि आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी जैर आराजी पर टांके का निर्माण कार्य कर रहा था, उस दरम्यान अप्रार्थी द्वारा विरोध किये जाने पर जैर आवंटन आदेश की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जानकारी हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि प्रार्थी ने बिना कोई उचित कारण बताये जैर प्रार्थना पत्र लगभग 50 वर्ष देरीना पेश किया है, जो पूर्णतया म्याद बाहर है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे अवलोकन से जाहिर होता है कि जिसमें लगभग 50 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को माफ करने का कोई विश्वसनीय, संतोषजनक एवं न्यायोचित कारण नहीं दिया गया है। अतः 50 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को बिना कारण के माफ करना हमारी दृष्टि में पूर्णतया अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र में जो कारण विलम्ब के बताये गये हैं वह न्यायोचित नहीं कहे जा सकते हैं। साथ ही अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई कारण दर्शित नहीं किये, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि प्रार्थी को जैर आवंटन आदेश की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण हस्तगत प्रार्थना–पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होता है।

जहां तंक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयां द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2007(2) RRT 1430 State of Rajasthan vs Bhanwar lal के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4)–14.8.1963 को 9 बीघा भूमि अप्रार्थी को आवंटित की –प्रार्थी यह साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहा कि आवंटी आवंटन के पूर्व 10 बीघा भूमि के कब्जे में था–40 वर्ष पूर्व आवंटन किया–40 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है और यह न्याय के साथ खिलवाड होगा–निर्णित, आलोच्य निर्णय की पुष्टि की। इसी प्रकार 2001 आर.आर.डी. 125, 377 भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें पेज 125 पर यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultureal Purpose) Rules 1970 - Rule 14(4) - Allotment can not be cancelled after 30 years - After 10 years allottee can be ejected under the provisions of Rajasthan Tenancy Act. Under the allotment Rules of 1957 land was allotted to the appellant in the year 1963. Even if the land was allotted under the Allotment Rules of 1957 same can be cancelled under the allotment Rules of 1970 if the allotment was obtained by fraud or mis representation. It was held that after a lapse of 25 years the allotment of land cannot be cancelled. The Board of Revenue accepted the appeal and set aside the order of both lower court. साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1996(3) RBJ 287 Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970 - Rule 14(3) And Rule 18 Section 9 of the Rajasthan land Reveune Act. 1956 - Allotment of land cannot be cancelled after lapse of 23 years. इसी प्रकार 2004 आर.बी.जे. 535 पर भी यह कहा गया है कि – Limitataion Act, 1963-Section 5-Sufficient cause-Whilse condoning the delay on should not

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

forget that valualbe right have accrued to the opposite party-Delay should be condoned only when there is sufficient cause-The words "Sufficient cause" under Section"5 of the Limitation Act should receive a liberal construction so as to advance substantial justice, but it does not mean to inter that delay should be condoned in eact and every case unless discretion exercised by the Court is on untenable grounds or arbitrary or perverse and in the eventually. साथ ही 2004 आर.बी.जे. 327 अनुसार Limitataion Act, 1963-Section 5-Condonation of delay-Delay of 12 years in filling appeal against final decree cannot be condoned-The Board of Revenue dismissed the Second appeal against the judgment dated 20-03-1984 in the first instance on 11-04-1989. While dismissing the appeal, the Board of Revenue has observed that the appellant has not preferred any application for explanation of 12 years dealy in filing the appeal. appeal dismissed. तथा न्यायिक दृष्टान्त 2011(2) डी.एन.जे. (राज.) 710 बल्लभदास व अन्य बनाम जिलाधीश व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि आवंटन को 40 वर्षों पश्चात् निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त 1997 आर.आर.डी. 412 पर भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970 - Rule 14(4) - Landrecorded a gair-mumkin rasta allotted-application under Rule 14(4), rejected by subordinate Courts-Revision-Held, Soil Classification of disputed land was changed a Barani kk prior to allotment and, therefore, 2 bigha area out of total area of Khasra No. 2132 is available for allotment-The matter has been brought to the notice after 19 years of allotment and decision of subordinate Courts is concurrent-Be-sides this, complainant has no right of appeal-Second appeal, held not maintainable. अतः यहां निश्चित रूप से यह प्रार्थना–पत्र अप्रत्यक्षित विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब को कण्डोन करने का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर ही हस्तगत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाता है तो अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस जो भी तर्क किये उनकी ताईद में कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, साथ ही अपने कथनों को साबित करने में भी असमर्थ रहे। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी जंगल की जमीन है, जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता। जिसका खण्डन करते हुये विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि जैर आराजी वन भूमि नहीं है, उक्त भूमि की किस्म बजंड होने से आवंटन कमेटी ने नियमानुसार जैर आराजी आवंटित की है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाते है कि वक्त आवंटन खसरा संख्या 178 की किस्म बंजड थी, जो कि राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 के तहत आवंटन के लिये प्रतिबंधित नहीं थी।

वकील प्रार्थी का अन्य उज्र कि अप्रार्थी भूमिहीन नहीं था क्योकि खसरा संख्या 176, 177 में अप्रार्थी के पिता का हक हिस्सा निहित था। इसका खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के पिता भूमिहीन व्यक्ति थे, जिस कारण आवंटन कमेटी ने जैर आराजी का आवंटन किया। इस सम्बन्ध में राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 12 अनुसार "उपबन्धित के सिवाय, आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा 4 हैक्टर से अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र, आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो, को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नहीं होगा।""परन्तु यह भी कि किसी भी सिंचाई परियोजना के अधीन नहीं आने पर बाड़मेर, जोधपुर, चुरू, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर और जालोर जिले के क्षेत्रों में इन नियमों के अधीन आंवटित की जाने वाली भूमि का अधिकतम क्षेत्र 6 हैक्टर से अधिक नहीं होगा।" अधिवक्ता प्रार्थी ने जिन खसरों का जिक्र किया है, उन खसरो के सम्बन्ध में उन्होनें कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये, साथ ही वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी अप्रार्थी खसरा संख्या 176, 177 की भूमि में खातेदार नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त दोनों खसरों के अतिरिक्त किसी अन्य खसरान की भूमि, जिस पर अप्रार्थी के पिता के खातेदारी अधिकारी हो, के तथ्य प्रकट नहीं किये है और न ही पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह जाहिर हो कि ग्राम गुडाधमावता में अप्रार्थी के पिता के हिस्से में कोई खातेदारी भूमि हो। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता भूमिहीन थे एवं इसी परिपेक्ष में आवंटन कमेटी ने, आवंटी को खसरा संख्या 178 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बंजड भूमि आवंटित की, जो विधिनुसार है।

वकील प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र था कि जैर आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है और वह उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है। विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि जैर आराजी, वक्त आवंटन से अप्रार्थी के पूर्वज तथा वर्तमान में अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है। जैर आराजी की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार दर्ज है अर्थात् अप्रार्थी को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है और किसी भी आवंटी को राजस्व रेकर्ड में तभी बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है, जब उसके द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना की गयी हो। साथ ही ग्राम गुडाधमावता की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर आराजी पर कपास एवं गेहू की खेती की गयी, इसलिये यहां पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जैर आराजी पर अप्रार्थी का कोई कब्जा, काश्त नहीं रहा हो। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन समीचीन प्रतीत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी में अप्रार्थी राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है तथा अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार मिलने से उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही बेदखल किया जा सकता है, इसलिये अपीलाधीन आवंटन आदेश को हस्तगत प्रर्थाना–पत्र के जरिये खारिज नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि अप्रार्थी के पिता को नियमों के विपरीत, विधिविरूद्ध तरीके से जैर आराजी का आंवटन हुआ है, जिसे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत ही निरस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालये से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

यह जाहिर होता है कि दिनांक 26.11.75 को मौजा सारण में भू–आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हुई, जिसमें उपखण्ड अधिकारी सोजत, सरपंच ग्राम पंचायत बोरीमादा, विकास अधिकारी पंचायत समिति खारची उपस्थित थे, जो कि राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु सलाहाकर समिति के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें स्वयं को भूमिहीन बताया तथा आवेदन की पुश्त पर अंकित पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी आवंटी के पास कोई खातेदरी भूमि नहीं है, आवंटी भूमिहीन व्यक्ति है, इसलिये अप्रार्थी के पिता को आवंटन सलाहाकर समिति के द्वारा जैर आराजी आवंटित की गयी, जो कि प्रथमदृष्टया पूर्णतया विधिनुसार प्रतीत होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनानुसार जैर आराजी में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार सृजित हो गये है जो कि ग्राम गुडाधमावता के खसरा संख्या 178 की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 से भी स्पष्ट है। हस्तगत प्रकरण में भूमि का आवंटन 26.11.1975 को हुआ था और आवंटी जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार भी खातेदार काश्तकार हो चुका है। आवेदक द्वारा आवंटन निरस्तीकरण के लिये जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया वह वर्ष 2021 मे प्रस्तुत हुआ। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन नियम लागू नहीं होते है। नियम 14(4) के अन्तर्गत गैर खातेदारी हक तक ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उसको सभी प्रकार के अधिकार जो एक खातेदार को होने चाहिये मिल जाते है। आवेदक के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में ऐसा कोई दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल जाने के पश्चात भी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण की अधिकारिता न्यायालय हाजा को प्राप्त हो। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1986 RRD 137 Paratha vs Prithiviraj के अनुसार Allotment Rules, 1970, R. 14(4)-Not applicable to allottees who acquired khatedari rights-Once allottee gets khaetdari rights, he acquires all rightsm conferred by RTAct - Land, allotted on 29.10.77 to non-applicant Np. 1 on whom khatedari rights, conferred on 23.12.83 by mutation and then he sold land to non-applicant nos.2 & 3 on 24-1-84-Application de. 9.8.84 u/r 14(4). rightly dismissed by Addl. Collector holding that Rules of 70, not applicable after acquisition of khatedari rights. इसी प्रकार 1987 RRD 235 Narayan vs Gotam में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970, Rule 14(4) -Application for cancellation of allotment made u/r 14(4) after lapse of 14 years by which time allottee had acquired Khatedari rights and record of rigths, mutated in his favour-Such appln, rejected by Collector-Revision against order of Collector, rejected. तथा 2008(2) RRT 834 Pyare Lal &Anr. vs Rajaram And 2018(2) RRT 1007 State of Rajasthan vs Shankarlal & Ors. के अनुसार Under Rule 14(4) allotment cannot be cancelled after acquisition of Khatedari rights. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2007(1) RRT 18 Sattar & Anr. vs Brijilal & Ors. के अनुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4)–राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 76–आवंटन का निरस्त करना–अपील–256 व्यक्तियों को आवंटन किया और रेस्पोडेण्ट बी.एल. ने केवल दो व्यक्तियों के आदेश को चुनौती दी–अपील दुर्भावपूर्ण आशय से पेश की गयी–राजस्व अपील प्राधिकारी सी.एल. रेस्पोडेण्ट बी.एल. का जवाई था– राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध था – आवंटन के 23 वर्ष बीत जाने पर आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए–खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता–निर्णीत, आदेश अवैध व अपास्त किया तथा आवंटन बहाल किया। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2021(2) आर.आर.टी. 1100 जोर सिंह बनाम श्रवण कंवर व अन्य के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4)–राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और आवंटन रद्द करने का आदेश अपास्त किया–आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये और रेकॉर्ड में खातेदार प्रविष्ट हुआ–निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं है व यथावत रखा। प्रकरण में महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह है कि दिनांक 26.11.75 को किये गये आवंटन के विरूद्ध आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही तथा अपील लगभग 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जबकि 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है, अतः खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् आवंटन को सामान्य तौर पर तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2011(18) RBJ 418 - Rajasthan Land Reneue (Allotment of land for agricultural purpose) Rules, 1970 - Rule 14(4) - Allotment of land cannot be cancelled on the basis of Presumptions and Technical Grounds. इस प्रकार न्यायिक नजीर 1995 (2) आर. बी.जे. 780 भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि – "The Khatedari rights conferred upon the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenecy Act, 1955 and the Collector has no power under rule 14(4) of the Rules to cancel the allotment made in favour of the petitioners with respect to the land in which the khatedari rights have already been conferred upon them because after the conferment of the khatedari rights, the applicability of the Rules comes to an end. The powers under sub-rule (4) of Rule 4 of the Rules, 1970 can be exercised by the Collector before conferment of the khatedari rights the petitioners acquired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and thereafter the provisions of Sub-rule (4) of rule 4 of the Rules, 1970 have no application. हस्तगत प्रकरण में आवंटन वर्ष 1975 का है, जबकि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की शर्तों की पालना करने पर 10 वर्ष के पश्चात् खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। उपरोक्त वर्णित नजीर वर्तमान मामले पर चस्पा होती है। इसलिये न्यायालय हाजा को अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं रह जाता है।

समग्रतः हम इस प्रकरण के सम्पूर्ण विश्लेषण करने पर पाते है कि आवंटन दिनांक 26.11.1975 को किया गया था जिसे लगभग 50 वर्ष की अवधि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

व्यतीत हो चुकी है तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। साथ ही मेरिट के तथ्यों के आधार पर भी आवंटी का आवंटन खारिज किये जाने योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति, शिविर सारण में दिनांक 26.11.1975 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम आवंटित ग्राम गुडाधमावला के खसरा संख्या 175 रकबा 16 बिस्वा (0.2023 हैक्टेयर) भूमि आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल आवंटन आदेश रेकर्ड शाखा को लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली